रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092022-238894
CG-DL-E-16092022-238894

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4167]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2022/भाद्र 25, 1944
No. 4167]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2022/BHADRA 25, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2022

का.आ. 4351(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पूर्ववर्ती सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 78 (अ), तारीख 04 फरवरी, 1999 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के किमी 0.000 से किमी 233.000 (विशाखापत्तनम-ओडिशा/आंध्र प्रदेश सीमा खंड) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा हैं;

और यतः, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956(1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण को खंडों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उदग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए प्राधिकरण को निम्नानुसार प्राधिकृत किया :

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के का.आ. 1016 (ई) दिनांक 15 जुलाई, 2005 द्वारा नंदीगाम से श्रीकाकुलम खंड के किमी 160.000 से किमी 97.000 (किमी 543.204 से किमी 606.204) और का.आ. संख्या 1180 (अ) दिनांक 18 जुलाई, 2007 द्वारा श्रीकाकुलम चंपावती खंड के 97.000 से किमी 49.000 (किमी 606.204 से किमी 654.204)।

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात "नियम'' कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना का.**आ**. संख्या 1016 (अ) दिनांक 15 जुलाई, 2005 तथा का.आ. संख्या 1180 (अ) दिनांक 18 जुलाई, 2007 का अतिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कर ली गईं हैं या करने से लोप करा दी गईं हैं , आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 16 के नरसनपेटा से राणास्तलम खंड डिजाइन किलोमीटर 580.671 से किलोमीटर 634.861 (मौजूदा किमी 580.700 से किमी 634.00) हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर तथा चार और अधिक लेन के खंड के उपयोग के लिए सडक खंड की निवल लंबाई 48.105 कि.मी. और 11.95 किमी (जिनकी लंबाई 1.195 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) तथा बाइपासों जिनकी लम्बाई 4.47 किमी और लागत दस करोड़ रु. या अधिक है, हेतु नीचे सारणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि .मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)**
(1)	**(2)**
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (ई.एम.ई) या अर्थ मूविंग उपस्कर (.ए.सी.एच) (चार से छह धुरी वाले) (.वी.ए.एम) या बहुधुरीय वाहन	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा अर्थात् :

सारणी- 2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	**लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले के मदापम गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के किमी /चै. 589.554	48.105 [बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड से अधिक) तथा संरचना की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़कर]	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा :

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	**बाईपास का नाम**	**शुरू होते हुए**	**मिलते हुए**	**बाईपास की लंबाई तथा लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (कि.मी.में)	**लागत (करोड़ रूपये में)**	
आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले के मदापम गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के किमी .चै/ 589.554	एचरला बाईपास	डिजाइन कि.मी.612.460 (विद्यमान कि.मी. 612.460)	डिजाइन कि.मी. 616.930 (विद्यमान कि.मी. 616.500)	4.47 (60 मी से अधिक लंबाई की संरचनाओं को छोड़कर)	120.00	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
कुल				**4.47**	**120.00**	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

सारणी-4			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	**सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (किमी में)**	**सड़क की समकक्ष लम्बाई (किमी में)**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले के मदापम गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के किमी .चै/ 589.554	1.195	11. 95	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

विवरण निम्नानुसार है :

चैनेज		संरचना का प्रकार	Length (in Km)
किसे .मी.	कितक .मी.		
590.454	591.049	वमसदरा नदी पर बड़ा पुल	0.5925
600.125	600.195	श्रीकाकुलम बाईपास टेक ऑफ प्वाइंट फ्लाईओवर	0.0700
605.310	605.690	**नागवल्ली नदी में बड़ा पुल**	0.3804
608.720	608.790	श्रीकाकुलम बाईपास टेक ऑफ प्वाइंट फ्लाईओवर	0.0700
623.066	623.148	प्राद्स्गेदवागु पर बड़ा पुल	0.0820
	कुल		**1.195**

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए मासिक पास की दर 285/- रूपए (दो सौ पचासी रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय राशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**मान्यता अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	**दो**	**संदाय के समय से चौबीस घंटे**
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	**पचास**	**संदाय की तारीख से एक मास**

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विर्निदिष्ट दर का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम ए1 नियम-के उप 10के अनुसार विर्निदिष्ट शुल्क के बराबर का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना के पूंजीगत लागत का अनुमानित मूल्य **1673. 93**करोड़ रुपए है।[पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जनन बदलनेउपयोगिता सेवाओं का स्था-, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/पीआईयू-वीएसपी/6-एलएन-आर-एपीसीओ/मदापम/2020/]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2022

S.O. 4351(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O.78(E) dated the 04th February 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km 0.000 to Km 233.000 (Vishakhapatanam –Orisha/Andhra Pradesh Border Section) of National Highway number 5, in the State of Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows:

Vide S.O. No. 1016 (E) dated 15th July, 2005 for the section Nandigam to Srikakulam from km 160.000 to km 97.000 (km 543.204 to km 606.204) and S.O. No. 1180 (E) dated 18th July, 2007 for the section Srikakulam Champavati section from km 97.000 to km 49.000 (km 606.204 to km 654.204) of NH-5 in the State of Andhra Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules") and supersession of the notification S.O. No. 1016 (E) dated 15th July, 2005 & S.O. No. 1180 (E) dated 18th July, 2007 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby levies the fee on the mechanical vehicles at 100% for the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 48.105 km for the use of four and more lane section and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 11.95 km (having length of 1.195 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 4.47 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Narasannapeta to Ranastalam section from design kilometer 580.671 to kilometer 634.861 (existing km 580.700 to km 634.00) of National Highway number 16 in the State of Andhra Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per Km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table 2

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length (in Km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Km/Ch. 589.554 of NH-16 near Madapam village in Srikakulam district of State of Andhra Pradesh	48.105 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 Crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) : -

Table 3

Location of Fee Plaza (chainage)	**Name of the Bypass**	**Taking Off**	**Merging at**	**Length and Cost of bypass for which additional fee is payable**		**Rate at which fee is payable**
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore	
At Km/Ch. 589.554 of NH-16 near Madapam village in Srikakulam district of State of Andhra Pradesh	Etcherla Bypass	Design km 612.460 (existing km 612.460)	Design km 616.930(existing km 616.500)	4.47 (Excluding length of structures (>60m)	120.00	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
Total				**4.47**	**120.00**	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table 4

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures (in Km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in Km)**	**Rate at which fee is payable**
At Km/Ch. 589.554 of NH-16 near Madapam village in Srikakulam district of State of Andhra Pradesh	1.195	11.95	100% for four and more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above

The details are as under: -

Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
From Km	To Km		
590.454	591.049	Major Bridge on Vamsadara River	0.5925
600.125	600.195	Srikakulam Bypass take off point flyover	0.0700
605.310	605.690	Major Bridge in Nagavalli river	0.3804
608.720	608.790	Srikakulam Bypass take off point flyover	0.0700
623.066	623.148	Major Bridge on Pradsgeddavagu	0.0820
	Total		**1.195**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is 285.00 (Rupees Two Hundred and Eighty Five Only) for the year 2021-22 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is **Rupees 1673.93 crore**. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/PIU-VSP/6-LN-R-APCO/MADAPAM/2020]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.09.16 22:09:13 +05'30'